FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN (State) from (019) SADULPUR Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Smt. KRISHNA POONIA VILL – GAGARWAS, TEH- RAJGARH, DISTT. CHURU 331023 sponsored by Indian National Congress has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: CHURU

Date: 11.12.2018

(SUBHASH KUMAR) RETURNING OFFICER AC (019) SADULPUR (SDM RAJGARH) CHURU

(Subhash Kumar)
Returning Officer
Assembly Constituency Sadulpur (019)
Sub Divisiona! Officer & Sub Divisional
Magistrate, Rajgarh (Churu)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लड गया है) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा। सादुलपुर – 19 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य के विधानसभा का निर्वाचन निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हुँ कि

श्रीमती कृष्णा पूनियाँ गांव – गागड़वास, त.राजगढ़, जिला– चूरू 331023 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने की लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये है।

स्थान : चूरू

तारीख : 11.12.2018

रिटर्निंग आफिसर वि.स. क्षेत्र (019) सादुलपुर (एस.डी.एम.राजगढ) चूरू

(सुभाष कुमार) रिटर्निंग आफिसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, सादुलपुर (019) उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट राजगढ़ (चूरू)